<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 29.11.2025</u>

<u>पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।</u>

<u>SJPU/AHTU जनपद खीरी की मासिक समन्वय बैठक/, कार्यशाला (पुलिस द्वारा बच्चों के प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP))संगोष्ठी कक्ष रिजर्व पुलिस लाइन खीरी मे</u>

आज दिनांक 29.11.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) महोदय की संरक्षण एवं श्री वीरेंद्र नाथ पांडे (A. D. J.) की अध्यक्षता में SJPU व A.H.T.U की मासिक समीक्षा एव कार्यशाला/समन्वय गोष्ठी आहूत की गयी। जिसमें सी डब्ल्यूसी सी के रामशरण, स्वास्थ्य विभाग से डॉ राकेश कुमार गुप्ता,जे०जे०बी० श्री हरे राम ,शिक्षा विभाग से श्री आशीष श्रीवास्तव, एम०के० बाजपेई , श्रमविभाग से अनुज कुमार, चाइल्ड लाइन खीरी से अंजुमन परवीन , वन स्टाफ सेंटर विजेता गुप्ता, जिला बाल संरक्षण इकाई से काउंसलर कय्यूम जरवानी, एम ट्रस्ट से अशोक कुमार, अमित कुमार, शुभम कुमार , जीआरपी लखीमपुर खीरी से हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार आफ लखीमपुर खीरी से सहायक उप निरीक्षक महेंद्र नाथ पांडे व बाल कल्याण अधिकारी अन्य विभागों के अधिकारीगण शामिल हुए जिसमें पूर्व में जारी किए गए कार्यवृत् का अनुपालन के संबंध में चर्चा की गई। तथा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी पुलिस द्वारा बच्चों के प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (sop) पढ़कर सभी को सुनाया गया और उपस्थित अधिकारीगण द्वारा थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के समक्ष आ रही समस्या, एवं सुझाव पीड़ितों के अश्वासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति किशोर न्याय अधिनियम 2015 मे हुए नवीनतम संशोधन पोस्को को एक्ट के अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना, पॉस्को के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरकर संबंधित को समय से भेजा जाना बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य का पालन, जे.जे एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारियों रिमांड लेने हेतु सादे वस्त्रों में आने जे.जे एक्ट की धारा 24 आदि तथा पोक्सो एक्ट एक्ट से संबंधित अभियुक्तों की माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त बेल नोटिस को बाल कल्याण समिति एवं वादी /पीड़िता को अंदर समय उपलब्ध कराना के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई |

<u>थाना गौरीफंटा पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ विकास पुत्र पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पलिया के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक गौरीफंटा के नेतृत्व में आज दिनांक 29.11.2025 को थाना गौरीफंटा पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ विकास पुत्र पवन कुमार नि0ग्रा0 सिमरीपुरवा बसंतापुर कलां थाना पलिया जिला खीरी को सम्बन्धित मु0अ0सं0 39/25 धारा 64/137(2)/87 BNS में गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

विवेक कुमार उर्फ विकास पुत्र पवन कुमार नि0 ग्राम सिमरीपुरवा बसंतापुर कलां थाना पलिया जिला खीरी उम्र करीब 19 वर्ष

<u>*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>*

1.उ0नि0 श्री वीरताप सिंह

2. हे0का0 अमित कुमार

3. म0का0 नाहिद परवीन ।

थाना गोला पुलिस द्वारा, 01 नफर वारण्टी अभियुक्त पंकज पुत्र रामेश्वर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना गोला के नेतृत्व में आज दिनांक 29.11.2025 को थाना गोला पुलिस द्वारा, मु0स0 3502/2025 धारा 26 एफ0 एक्ट में वारण्टी अभियुक्त पंकज पुत्र रामेश्वर नि0 पुर्नभूग्रन्ट थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

पंकज पुत्र रामेश्वर नि0 पुर्नभूग्रन्ट थाना गोला जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 सुनील कुमार थाना गोला जनपद खीरी

2.का0 अनुज कुमार थाना गोला जनपद खीरी

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 45 लीटर अवैध शराब बरामद कर 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **45 लीटर अवैध कच्ची शराब** बरामद कर **04 नफर** अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **04 अभियोग** पंजीकृत किये गये।